

**न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)**

वाद संख्या-83/2022

धारा 144 द0प्र0सं0

रघुनाथ यादव वगै0.....प्रथम पक्ष

बनाम्

अकलु यादव वगै0.....द्वितीय पक्ष

**आदेश**

दिनांक 15/08/22 अभिलेख आदेशार्थ प्रस्तुत। यह वाद थाना प्रभारी, सरिया के प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के रघुनाथ यादव वगै0 बनाम द्वितीय पक्ष के अकलु यादव वगै0 को प्रश्नगत भूमि पर धारा 144 द0प्र0सं0 की प्रक्रिया प्रारंभ कर उभय पक्षों को प्रश्नगत भूमि पर जाने से रोक लगाई गई साथ ही उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर प्रश्नगत भूमि के दावे के समर्थन में कारण पृच्छा की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

मौजा-तैलियासिंघा, थाना-सरिया, जिला-गिरिडीह अंतर्गत,

1. खाता नं0-14, प्लॉट नं0-129, रकवा-19 डी0 मध्ये 9.5 डी0, चौहद्दी: 30-नदी, द0-गिरधारी महतो, पू0-जंगल महतो, प0-देवकी महतो वो पारी महतो।
2. प्लॉट नं0-226, रकवा-25 डी0 मध्ये विवादित रकवा-25 डी0 मध्ये 09 डी0, चौहद्दी: 30-नेगो यादव, द0-काली पासवान, पू0-ढेलो महतो, प0-छक्कन यादव।
3. प्लॉट नं0-524, विवादित रकवा-04 डी0 मध्ये 02 डी0, चौहद्दी: 30-गेयानी महतो, द0-मंगर महतो, पू0-तेजो महतो, प0-नीज।
4. प्लॉट नं0-541, विवादित रकवा-07 डी0, चौहद्दी: 30-गेयानी महतो, द0-गेयानी महतो, पू0-परमा बढई, प0-हिरा महतो।
5. प्लॉट नं0-663, विवादित रकवा-12 डी0, चौहद्दी: 30-गेयानी महतो, द0-गेयानी महतो, पू0-हिरा महतो, प0-मनी महतो।
6. प्लॉट नं0-764, विवादित रकवा-16 डी0, चौहद्दी: 30-मनी महतो, द0-रिझो महतो, पू0-भतुवा महतो, प0-ललमनियां दुसाद।

7. प्लॉट नं०-187, विवादित रकवा-16 डी०, चौहद्दी: उ०-चितो महतो वो पुनीत महतो, द०-छक्कन महतो वो ढेलो महतो, पू०-खौराटांड सीमाना, प०-नीज प्रथम पक्ष।

उभय पक्ष उपस्थित।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों व थाना प्रभारी, सरिया के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह मामला भूमि के हक-हकियत से संबंधित है। चूंकि वाद की कार्यवाही धारा 144 द०प्र०सं० के तहत शांति बनाये रखने के लिए प्रारम्भ हुई, जिसकी अवधि मात्र 60 दिनों की होती है।

अतः काल बाधित होने के कारण वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित।

अनुमंडल दण्डाधिकारी  
बगोदर-सरिया।

अनुमंडल दण्डाधिकारी  
बगोदर-सरिया।